



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275381
CG-DL-E-11082026-275381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4280]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4280]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

का.आ. 4458(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कुछ निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या न्यासों या आयोगों की विनिर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरसित कर दिया गया था;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख), अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के निम्नलिखित को कुछ भी अध्यधीन प्रभावित नहीं करेगा-

- (i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन और कोई आदेश या उसके तहत विधिवत किया गया कृत्य या हानि; या
- (ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, देनदारी या दायित्व;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू रहेंगे (नोटिस सहित निर्धारण, पुनःनिर्धारण, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुसार की जाएगी;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ई) में प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा और निपटाया जाएगा जबकि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

अतः केंद्र सरकार अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पंचकुला' (पैन :AAAGC0054R), जो 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;
- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद -

- (क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;
- (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।
4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए संबंधित निर्धारण वर्षों 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 112 /2026/फा. सं. 300196/6/2026-आईटीए- I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण संबंधित ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।